उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोर्टर्स कालेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

फोन न० 0135–2669658 फैक्स न0 0135–2672902

पत्रांकः–परीक्षा/ 639 /2023–24 दिनांकः 08 फरवरी, 2024

विज्ञप्ति

आयोग द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा छात्रावास अधीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मैट्रन केयर सह हॉस्टल इन्चार्ज, सहायक चकबन्दी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक स्वागती, संरक्षक कम डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, संवीक्षक, सुपरवाईजर (केवल महिलाओं के लिए) (पद कोड–122, 187, 190, 296, 485, 513, 520, 526, 550, 599, 604, 641/29/2020) की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 09 जुलाई, 2023 को आयोजित की गई।

अवगत कराना है कि उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर **पद कोड–122, 187, 190, 296, 485, 513, 520, 526, 550, 599, 604, 641/29/2020)** में चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन हेतु आयोग की विज्ञप्ति संख्या–परीक्षा/ 317/गोपन/2023–24 दिनांक 25 जनवरी, 2024 द्वारा **द्वितीय चरण की औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची** आयोग की वेबसाईट www.sssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की गई है।

सूच्य है कि उक्त पदों पर समस्त चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन **दिनांक 16 फरवरी, 2024 को** आयोग कार्यालय में किया जायेगा। अतः औपबन्धिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :–

1. औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेखों (जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गये शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र) की स्वप्रमाणित दो–दो प्रतियाँ (अलग–अलग) **व 06 पास पोर्ट आकार की फोटोग्राफ** के साथ **निर्धारित तिथियों** को **प्रातः 9.30 बजे आयोग कार्यालय** में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. ध्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक की समस्त वर्षों सहित अंक तालिकायें व प्रमाण पत्र/उपाधि तथा आरक्षण व स्थाई निवास से संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। **आरक्षण (EWS/OBC/SC/ST/PH/DFF/EX) का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो**, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल रूप में एवं उसकी छायाप्रति लाना अनिवार्य है।
4. आयोग की वेबसाइट पर **संवाद संख्या–79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप (चैकलिस्ट)** एवं **अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबन्धिक प्रवेश पत्र** संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण दो–दो प्रतियों (अलग–अलग) में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।
5. अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितान्त रूप से अनिवार्य है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने के संबंध मे यदि कोई गंभीर कारण हों तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 07 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जायेगी।
6. यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने हेतु अधिकतम 07 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। यदि अतिरिक्त 07 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
7. आयोग परिसर में मोबाईल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

Scanned with ACE Scanner